प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित -

आज दिनांक 02.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।

थाना अजनर व जनपदीय स्वॉट की संयुक्त पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट व 10 हजार रुपये के ईनामियां वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 01.06.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री लाखन सिंह व जनपदीय स्वॉट प्रभारी श्री राहुल परमार के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित की गयी संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 51/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के वांछित व 10000/- रुपये के पुरुस्कार घोषित अपराधी बृजेश कुमार दर्जी पुत्र गौरीशंकर नामदेव उम्र करीब 26 बर्ष को पुरवा पनवाड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया , गिरफ्तार अभियुक्त बृजेश कुमार दर्जी उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 10000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण -

बृजेश कुमार दर्जी पुत्र गौरीशंकर नामदेव उम्र करीब 26 बर्ष निवासी ग्राम खैरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

1. मु0अ0सं0 210/2021 धारा 356/379/411 भादवि थाना अजनर जनपद महोबा।
2. मु0अ0सं0 301/2021 धारा 356/379/411 भादवि थाना चरखारी जनपद महोबा।
3. मु0अ0सं0 51/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।

पुरुस्कार घोषित धनराशि – 10000/- रुपये द्वारा - पुलिस अधीक्षक महोबा।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

1. श्री लाखन सिंह थानाध्यक्ष अजनर जनपद महोबा।
2. उ0नि0 उमेश कुमार थाना अजनर जनपद महोबा।
3. हे.का. विनोद कुमार यादव 4. रि.का. विक्की चौधरी 5. रि.का. सूर्यान्श प्रताप सिंह बुन्देला

जनपदीय स्वॉट टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल परमार प्रभारी जनपदीय स्वाट टीम महोबा।
2. का. अंशुल दुबे 3. का. अभिजीत पाण्डेय
4. का. नरेन्द्र कुमार 5. का. सत्यम सिंह जादौन।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.06.2022

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने अपहृत को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री उमापति मिश्र द्वारा गठित टीम उ0नि0 चेतराम द्वारा देखभाल क्षेत्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान पर कुलपहाड़ महोबा रोड सूपा तिराहे से अपहृत रामसिंह पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित मु.अ.सं. 289/21 धारा 452/504/323/365 भादवि को सकुशल बरामद किया गया तथा पारिवारिक जनों को बुलाकर उनको सुपुर्द कर थाना हाजा से सकुशल रुखसत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चेतराम थाना चरखारी जनपद महोबा
2. हे0का0मासूकअली 3. का0 महादेव

विवरण अपहृत-

रामसिंह पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एंव परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 02.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम उपनिरीक्षक उमेश कुमार द्वारा ग्राम जैलवारा के पास से अभियुक्त रामकिशोर पाल पुत्र मनीराम पाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से एक बोरी में 60 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 106/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री उमेश कुमार थाना अजनर जिला महोबा
2. का. आसवेन्द्र सिंह थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकिशोर पाल पुत्र मनीराम पाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

एक बोरी में 60 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद होना

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.06.2022

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एंव कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक **02.06.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिये सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर **94** ई-चालान किये गये।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक, महोबा द्वारा थाना श्रीनगर का अर्दली रूम किया गया तथा समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को विवेचना निस्तारण के सम्बन्ध में दिये आवश्यक निर्देश...।

आज दिनांक 02.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम द्वारा थाना श्रीनगर के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के दौरान समस्त विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के संबंध में विस्तृत रुप से पूछताछ करते हुये लम्बित विवेचनाओं के कारण की समीक्षा की गई एवं अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायत देते हुए विवेचनाओं का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना के दौरान अपराध की प्रकृति के अनुरुप सभी तथ्यों, साक्ष्यों एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल करके विवेचना को सुदृढ बनाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कि मा0 न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रकट न की जाये।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए वांछित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी करने, शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण, भूमि संबंधी विवादों का समाधान/थाना दिवस पर राजस्व विभाग के सहयोग से निस्तारित कराने, रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने, पिछले वर्षों में चोरी, लूट व अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

इस मौके पर थाना श्रीनगर थानाध्यक्ष दिनेश तिवारी के अतिरिक्त समस्त विवेचकगण उपस्थित रहे।

महोबा पुलिस